न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम राक्षी तहसील बनेड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 58/2012 राजस्व वादपत्र

अनवान

1 गुलाब सिंह पिता लादु लाल चौधरी उम्र–वयस्क निवासी राक्षी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

..... **वादी**

बनाम

1 छगना पिता भिया जाट उम्र वयस्क रतवालो का खेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा (राज.) हाल निवासी सरदारनगर तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 प्रेमसिंह पिता स्व. भवंर लाल चौधरी उम्र–वयस्क निवासी राक्षी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 मगना पिता मांग्या जाट उम्र–वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 काना पिता मांग्या जाट उम्र–वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5 डॉ सत्यनारायण पिता रूपलाल गुप्ता (बल्दवा) उम्र वयस्क निवासी राजेन्द्र मार्ग रोड, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
6 गोविन्द स्वरूप पिता लक्ष्मीनारायण महाजन उम्र–वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7 किशन स्वरूप पिता लक्ष्मीनारायण महाजन उम्र–वयस्क निवासी बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8 विशन स्वरूप पिता लक्ष्मीनारायण महाजन उम्र–वयस्क निवासी बेसकलाई तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
10 उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय बनेडा जिला भीलवाडा

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री गुलाब सिंह चौधरी.....वादी स्वंय मय अधिवक्ता**
पैरोकार सरकार..... .....प्रतिवादी संख्या 09, 10

–:: निर्णय ::–

दिनांक 07.05.2018

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व विपक्षी संख्या 02 के पिता भंवरलाल ने ग्राम बेसकलाई पटवार हल्का क्षैत्र राक्षी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित साबिक आराजी संख्या 885 रकबा 05–16 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 का निहित 1/4 हक हिस्सा अन्य आराजीयात के साथ साथ रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये दिनांक 26.04.1969 को क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की गई। तत्पश्चात जमाबन्दी संवत 2023 से 2026 में जरिये नामान्तकरण संख्या 296 वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता भंवरलाल के नाम पर दर्ज हुई। सेटलमेन्ट की कार्यवाही के पश्चात साबिक आराजी संख्या 885 के नवीन नम्बरान 334 कायम हुए। खरीद दिनांक से ही

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

वादी एंव प्रतिवादी संख्या 02 के पिता भंवरलाल निरन्तर रूप से काबिज होकर उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। भंवरलाल चौधरी का देहान्त हो जाने से उनके स्थान पर विपक्षी संख्या 02 अपने हक हिस्से में निरन्तर काबिज है। मामले में तत्कालीन खातेदार श्री नानु पिता सूरजमल व नारायण पिता ज्वारा जाट निवासी बेसकलाई जो कि लाऔलाद फौत हो जाने से विरासत से खाता प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर खुला व प्रतिवादी संख्या 01 के अपना सम्पूर्ण 1/4 हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता भंवरलाल चौधरी को रजिस्टर्ड विक्रयविलेख बैचान कर आराजीयात का कब्जा/आधिपत्य सिपुर्द कर दिया, किन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने राजस्व रेकार्ड में भूलवश त्रूटीपूर्ण इन्द्राज कर उक्त कयशुदा आराजीयात से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता के नाम हटाकर प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्वज नानु पिता सूरजमल, नारायण ज्वारा जाट जो कि पूर्व में ही लाऔलाद फौत हो चुके है, का नाम गलत तौर पर पुनः कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध है। अतः राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, विवादित आराजीयात से नानु पिता सूरजमल, नारायण ज्वारा जाट का नाम बतौर सह खातेदारी हक से विलोपित करा, उनके स्थान पर 1/4 हक हिस्से पर वादी व प्रतिवादी 02 के नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 लगायत 08 सादर फरमायी जाने के साथ इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे। इसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 03 लगायत 08 सादर पारित फरमाई जावें।

2. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 12.06.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/नोटिस मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। नियत सुनवाई दिनांक पर विपक्षी संख्या 01 स्वंय उपस्थित हुए व अधिवक्ता श्री महेश जोशी के द्वारा उनकी और अण्डर टेकिंग लेते हए जवाबदावा आईन्दा सुनवाई पर प्रस्तुत किये जाने आशय का निवेदन किया। सूनवाई दिनांक 01, 03, 04, 07, 10 के सम्मन बाद तामील शामिल पत्रावली हुए। नियत सुनवाई दिनांक 14.09.2017 को शेष प्रतिवादीगण संख्या 02, 05, 06, 08, 09 के सम्मन निरन्तर अदम तामील लौटने से वादी अधिवक्ता को तलबी हेतु राज्य स्तरिय दैनिक समाचार पत्र में सम्मन के प्रकाशन बाबत अनुमति प्रदत्त की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा पैशी दिनांक 21.12.2017 को राज्य स्तरिय दैनिक नवज्योति समाचार पत्र में सम्मन के प्रकाशन की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की गई, किन्तु नियत सुनवाई पर प्रतिवादीगण स्वंय अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि वादपत्र मे पैरवी हेतु हाजिन नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये, तथा प्रकरण को एकतरफा साक्ष्यवादी चरण हेतु नियत किया गया। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 न्याय आपके द्वार के लिए शिविर मुकाम राक्षी में पंजीबद्ध किया गया। नियत शिविर में वादी की शहादत्त में गवाह वादी संख्या 01 द्वारा अपने साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र प्रस्तुत किया गये, जिस पर लाल स्याही से

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

पी.डब्ल्यू–1 का अंकन कर वादपत्र से संलग्न राजस्व आधार अभिलेख जमाबन्दी व भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा परिशोधन पत्र तथा कथित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पर क्रमशः प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 का अंकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के शीघ्र निस्तारण की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण में बहस प्रस्तुत करना चाहने सें बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अंकित कलमो को अपनी बहस में समायत करते हुए निवेदन किया कि मामले में तत्कालीन खातेदार श्री नानु पिता सूरजमल व नारायण पिता ज्वारा जाट निवासी बेसकलाई जो कि लाऔलाद फौत हो जाने से विरासत से खाता प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर खुला व प्रतिवादी संख्या 01 के अपना सम्पूर्ण 1/4 हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता भंवरलाल चौधरी को रजिस्टर्ड विक्रयविलेख बैचार कर आराजीयात का कब्जा/आधिपत्य सिपुर्द कर दिया, किन्तु राजस्व कर्मचारीयों ने राजस्व रेकार्ड में भूलवश त्रूटीपूर्ण इन्द्राज कर उक्त क्रयशुदा आराजीयात से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता के नाम हटाकर प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्वज नानु पिता सूरजमल, नारायण ज्वारा जाट जो कि पूर्व में ही लाऔलाद फौत हो चुके है, का नाम गलत तौर पर पुनः कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध है। अतः राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करा, विवादित आराजीयात से नानु पिता सूरजमल, नारायण ज्वारा जाट का नाम बतौर सह खातेदारी हक से विलोपित करा, उनके स्थान पर 1/4 हक हिस्से पर वादी व प्रतिवादी 02 के नाम पर दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। तद्नुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 लगायत 08 सादर फरमायी जाने के साथ इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जावे।

3. वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। पत्रावली अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की ताईद मे प्रस्तुत शपथपत्र, वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व आधार अभिलेखो के तौर पर जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2026, भू–प्रबन्ध विभाग का खसरा परिशोधन पत्र व रजिस्टर्ड विक्रय विलेख 26.04.1969 आदि के अध्ययन से अभिलेखो पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रमाणित है कि वास्तव में राजस्व कर्मचारीयों ने राजस्व रेकार्ड में भूलवश त्रूटीपूर्ण इन्द्राज किया गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता भंवरलाल चौधरी की खरीदशुदा आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में दोषपूर्ण अंकन कारित कर प्रतिवादी संख्या 01 के पूर्वज जो कि पहले ही लाऔलाद फौत हो चुके है, के नाम पर दर्ज कर दिया गया है, जिसका पुष्ठिकरण सेटलमेन्ट विभाग के खसरा परिशोधन पत्र के पृष्ठ संख्या 96 को देखने से ही सिद्ध होता है। अतः वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 लगायत 10 के स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

प्रतिवादी सं0 2 के पिता भंवरलाल द्वारा उक्त साबिक

—::आदेश::—

वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 लगायत 10 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम बेसकलाई पटवार हल्का क्षैत्र राक्षी तहसील बनेडा जिला भीलवाडा स्थित साबिक आराजी संख्या 885 के नवीन नम्बरान खसरा संख्या 334 रकबा 05—03 बीघा भूमि से नानु पिता सूरजमल, नारायण ज्वारा जाट के नाम बतौर सह खातेदारी हक विलोपित कर दुरूस्त करते हुए उनके स्थान पर वादी तथा प्रतिवादी क्रम 02 को 1/4 हक हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे। इसके साथ ही वादी के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 लगायत 08 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है । तद्नुसार आशय की अन्तिम डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें। अंन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 शिविर मुख्यालय राक्षी में-सरे ईजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)